न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 79/2022 (RCMS : 2022/117)

1. **सुखवन्त सिंह** पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 आरबी''बी'' तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

--- **वादीगण प्रार्थीयान**

बनाम

1. **सुभाष कुमार,** सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर
2. **हरपाल सिंह** पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 आरबी''बी'' तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **कलवन्त सिंह** पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 आरबी''बी'' तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **अमरजीत सिंह** पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 आरबी''बी'' तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
5. **कर्मजीत कौर** पुत्री पूर्ण सिंह पत्नी रणवीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 डीडी तहसील पदमपुर श्रीगंगानगर
6. **राजस्थान सरकार** जरिये तहसीलदार, पदमपुर

--- **अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.01.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलविन्द्र सिंह उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 22/2022 अनवानी हरपाल सिंह बनाम सुखवन्त सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए(रिव्यू प्रार्थना पत्र) एवं आदेश 47 नियम 4 व 151 सीपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 22/2022 अनवानी हरपाल सिंह आदि बनाम सुखवन्त सिंह आदि अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटीए(रिव्यू प्रार्थना पत्र) एवं आदेश 47 नियम 4 व 151 सीपीसी में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.02.13 13:39:02 IST
Reason: SelfAttested